पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES FIVE RUPEES

(1) 112

समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

निगरानी प्र० क्रं० R-881-IV/2003

आवेदक :- 1. चितरंजन सिंह आत्मज भगवानदास लोधी
निवासी ग्राम तेवर, तह० एवं जिला जबलपुर।
2. सरोज पति श्री राज कुमार भनोट व
निवासी - गोरखपुर, तह० व जिला जबलपुर।
3. परसराम आत्मज श्री लाल सिंह लोधी।
निवासी - छोटा पहाड़, तहसील व जिला जबलपुर।
4. भारत लाल आत्मज मूल चंद्र साहू
निवासी - ग्राम पिपारिया, तह० व जिला जबलपुर।
5. हलकाई आत्मज शिवदीन गोटिया।
निवासी - ग्राम पिपारिया, तह० व जिला जबलपुर।

दिनांक 10.6.03 को जबलपुर कैम्प पर श्री प्रेम सिंह कर्मा अभि० द्वारा प्रस्तुत।
10-6-03

विरुद्ध

अनावेदक:- म० प्र० शासन द्वारा नायाब तहसीलदार, (नजूल)
जबलपुर।

आवेदन पत्र धारा - 50 सहपठित धारा 8 म० प्र० भू० राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत।

आवेदक निम्न कथन करप्रार्थनाकरताहै कि -

1. यह कि न्यायालय सक्षम अधिकार अर्बन लैण्ड सीलिंग, जबलपुर के रिटर्न प्र० क्रं० - 143 अ / 90, ब - 9, 82 - 83, में अतिशेष घोषित भूमि का कब्जा लेने सक्षम अधिकारी ने तहसीलदार नजूल को पत्र प्रेषित किया। जिसके आधार पर नायाब तहसीलदार (नजूल) ने राजस्व प्रकरण क्रं० 034अ / 74, 99 - 2000, दर्ज कर, कार्यवाही

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - विविध 881-तीन/03 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-7-16	प्रकरण का अवलोकन किया । इस प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 13-6-03 को आदेश पारित किया गया था । बाद में यह तथ्य आने पर कि यह प्रकरण नगर भूमि सीमा अधिनियम, 1976 का है, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मंडल को नहीं है, अध्यक्ष राजस्व मंडल के आदेश दिनांक 3-4-12 के द्वारा प्रकरण को स्वमेव पुनरावलोकन में लिया गया तथा आवेदकगण को सूचनापत्र जारी किये गये । प्रकरण में दिनांक 16-11-12 को आवेदकगण के अधिवक्ता उपस्थित हुये, इसके उपरांत वे लगातार अनुपस्थित हैं । आवेदकों को उपस्थित होने हेतु कइ बार सूचना पत्र भेजे गये हैं किंतु वे उपस्थित नहीं हो रहे हैं । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें प्रकरण में अपना पक्ष रखने में कोई रूचि नहीं है । दर्शित परिस्थिति में इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में पारित क्षेत्राधिकार रहित आदेश दिनांक 13-6-2003 निरस्त किया जाता है । 2/ उभयपक्ष सूचित हों तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । सदस्य	